गन्ना विकास विभाग जनपद मुजफ्फरनगर

गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा गन्ना कृषकों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं मे से जिला योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर विशेष रूप से कार्य क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत संचालित सहयोजनाओं का सांकेतिक विवरण निम्न प्रकार है –

1– जिला योजना इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

अ– आधार पौधशाला से बीज वितरण पर 50 रू0 प्रति कुं0 की दर से अनुदान कृषकों को दिया जाता है।

ब– प्राथमिक पौधशाला से बीज वितरण पर 25 रू0 प्रति कु0 की दर से अनुदान कृषकों को दिया जाता है।

स– अभिजनक गन्ना बीज यातायात– शोध केन्द्र से बीज यातायात पर 15 रू0 प्रति कु0 की दर से अनुदान कृषकों को दिया जाता है।

द– आधार गन्ना बीज यातायात इस मद मे गन्ना कृषकों को 7 रू0 प्रति कु0 की दर से अनुदान देने का प्राविधान है।

य– बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम गन्ना समितियों के माध्यम से वितरित किये गये कीटनाशक के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रू0 प्रति हैक्टे0 की दर से अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

र– पेडी प्रबन्धन कार्यक्रम पेडी फसल पर स्प्रे मे प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रू0 प्रति हैक्टे0 की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

ल– वर्मी कम्पोस्ट/बायोफर्टीलाइजर्स नाबार्ड ऋण योजना के अन्तर्गत कुल मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 600 रू0 प्रति हैक्टे0 की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

व– अर्न्तग्रामीण सडक निर्माण– गन्ना क्रय केन्द्रो से चीनी मिल तक सुगमता पूर्वक गन्ना यातायात कराने के उददेश्य से सडकों की मरम्मत/ नव निर्माण का कार्य कराया जाता है। जिस पर गन्ना विकास परिषद का अंशदान 20 प्रतिशत तथा शासकीय अंशदान 80 प्रतिशत से पूर्ण कराया जाता है।

2– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना गन्ना विकास विभाग जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा संचालन किया जा रहा है। विवरण निम्न प्रकार है –

अ– आधार पौधशाला से बीज वितरण पर 50 रू0 प्रति कुं0 की दर से अनुदान कृषकों को दिया जाता है।

ब– प्राथमिक पौधशाला से बीज वितरण पर 25 रू0 प्रति कु0 की दर से अनुदान कृषकों को दिया जाता है।

स– बीज यातायात– आधार पौधशाला से बीज यातायात पर 15 रू0 प्रति कु0 की दर से अनुदान कृषकों को दिया जाता है तथा प्राथमिक पौधशाला की स्थापना हेतु गन्ना बीज यातायात मद मे गन्ना कृषकों को 7 रू0 प्रति कु0 की दर से अनुदान देने का प्राविधान है।

द– कृषि यन्त्रों पर अनुदान – 1– मानव चालित यन्त्रों पर यन्त्र के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रू0 प्रति यन्त्र। 2– पशुचालित यन्त्र पर यन्त्र के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2500 रू0 प्रति यन्त्र। 3– शक्ति चालित कृषि/ट्रैक्टर चालित यन्त्र पर यन्त्र के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 30000 रू0 प्रति यन्त्र अनुदान दिया जाता है।

य– क्षेत्र प्रदर्शन – 0.500 हैक्टे0 प्रदर्शन पर 15000 रू0 तथा अनुसूचित जाति के कृषकों को 0.200 हैक्टे0 के प्रदर्शन अधिष्ठापन की सुविधा एवं 6000 रू0 अनुदान दिया जा रहा है।

र– सूक्ष्म पोषक तत्व – माईक्रोन्यूट्रियन्ट के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 600 रू0 प्रति हैक्टे0 की दर से अनुदान दिया जाता है।

ल– गन्ना किसान उत्पादकता पुरस्कार– जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार 15000 रू0, द्वितीय 10000 रू0, तृतीय 7500 रू0, मण्डल स्तर पर प्रथम पुरस्कार 25000 रू0, द्वितीय 15000 रू0, तृतीय 12500 रू0 तथा राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 50000 रू0, द्वितीय 35000 रू0, तृतीय 25000 रू0 गन्ना कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

व– जिला स्तरीय गन्ना किसान गोष्ठी– योजना के प्रचार प्रसार हेतु 100000–00 रू0 प्रति गोष्ठी की दर से अनुदान प्राप्त होता है।

जनपद में कार्यरत सहकारी गन्ना विकास समिति के सदस्य बनने हेतु 21 रू0 शूल्क तथा किसान की अपनी खतौनी की प्रमाणित प्रति तथा तीन फोटो एवं बैंक खाता नम्बर आदि उपलब्ध कराने पर गन्ना समिति का सदस्य बन सकता है। गन्ना समिति द्वारा कृषकों को हयूम पाईप खरीदने पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही सभी योजनाओं मे अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष रूप से लाभान्वित किया जा रहा है एवं निर्धारित 20 प्रतिशत लक्ष्यों से अधिक कृषकों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कृषक साक्षर/साधन सम्पन्न/प्रगतिशील/नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता/समिति का सदस्य हों।

<u>नोट</u> :– कृपया उपरोक्त समस्त योजनाओं के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कृषक सर्किल गन्ना पर्यवेक्षक, ब्लाक प्रभारी, सम्बन्धित विशेष सचिव, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा गन्ना विकास परिषद/गन्ना समिति से सम्पर्क कर लाभान्वित होवें।